भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 512
जिसका उत्तर मंगलवार 06 फरवरी, 2018 को दिया जाना है

विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना

512. श्री इन्नोसेन्ट:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वर्तमान में उपलब्ध अधिशेष विद्युत का विद्युत वाहनों में उपयोग किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (सामूहिक रूप से एक्सईवी कहा जाता है) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना को अनुमोदित किया और तत्पश्चात्, वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का शुभारंभ किया। इस मिशन प्लान को देश में मूलतः ईंधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदूषण पर विचार करने के लिए तैयार किया गया है।

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और उनकी निरन्तर वृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य से और इस मिशन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने 01 अप्रैल, 2015 (चरण-I) से 2 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है।

फेम-इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस स्कीम की समीक्षा इस स्कीम के चरण-I में प्राप्त हुए परिणाम और अनुभव के आधार पर समुचित रूप से की जाएगी। फेम-इंडिया स्कीम का

चरण-I, जो प्रारम्भ में 01 अप्रैल, 2015 से शुरु होकर 2 वर्षों की अवधि के लिए था, को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, स्कीम के अंतर्गत "माइल्ड हाइब्रिड" प्रौद्योगिकी को उपलब्ध लाभ 01 अप्रैल, 2017 से नहीं मिलेंगे।

फेम-इंडिया स्कीम की बढ़ाई गई अवधि में, भारी उद्योग विभाग ने सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नए सिरे से और बल प्रदान करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ठोस रूप से आगे बढ़ाने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है। इस विशेष ठोस प्रयास के तहत स्कीम से इलेक्ट्रिक बसों, तिपहिया वाहनों, चौपहिया वाहनों की खरीद और सार्वजनिक परिवहन एवं साझा मोबिलिटी हेतु चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ग) और (घ): विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों को विद्युत प्रदान करने वाली बैटरियों की चार्जिंग के लिए ग्रिड से विद्युत लिए जाने की आवश्यकता होगी। देश में वर्तमान में मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

*****